अध्याय - V

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

5.1 मूल्य वृद्धि के कारण परिहार्य व्यय

इण्डियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता ने ₹ 52.78 लाख का परिहार्य व्यय किया तथा अल्पावधि अनुबंध के क्रियान्वयन में मूल्य-वृद्धि के कारण ₹ 31.01 लाख की अतिरिक्त देयता पैदा की।

सामान्य वित्त नियम, 2005 का नियम 204 (viii) अनुबद्ध करता है कि कीमत-परिवर्तन खंड (पी.वी.सी.), केवल दीर्घ अवधि अनुबंधों, जहाँ सुपुर्दगी अवधि 18 महीने से अधिक होती है, में प्रदान किया जा सकता है। अल्पवधि अनुबंधों में स्थिर तथा निश्चित कीमतें प्रदान की जानी चाहिए। कीमत-परिवर्तन खंड प्रदान किए जाने वाले मामलों में सामग्री तथा श्रम की कट ऑफ़ तिथियाँ, कीमत परिवर्तन की अधिकतम सीमा तथा अनुबंध कीमतों में परिवर्तन का न्यूनतम प्रतिशत जिससे अधिक होने पर कीमत परिवर्तन स्वीकार्य हो, को उल्लिखित किया जाना चाहिए।

इण्डियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ़ साइंस, कोलकाता (आई.ए.सी.एस.), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.) के अंतर्गत एक वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान, ने अपनी लाइब्रेरी बिल्डिंग की ऊपरी तीन मंज़िलों के निर्माण का कार्य मेसर्स हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड़, कोलकाता (एच.एस.सी.एल.) को कार्य शुरू करने की तिथि से 18 कैलेंडर महीनों के अंदर पूरा करने हेतु ₹ 6.45 करोड़ की कीमत पर दिया। ठेकेदार को निर्माण-स्थल अप्रैल 2009 में सौंप दिया गया तथा इस प्रकार कार्य अक्टूबर 2010 से पहले पूरा किया जाना था। कार्य आदेश में, प्राधिकृत एक्सटेंशन को शामिल करते हुए अनुबंध अवधि के दौरान क्रियान्वित कार्य पर सामग्रियों तथा श्रम की कीमत में बढ़ोतरी या कमी की वजह से कीमत परिवर्तन समायोजन (पी.वी.ए.) हेतु एक खंड को शामिल किया गया था।

कार्य, ढाई वर्ष से अधिक की देरी के पश्चात् जून 2013 में पूरा किया गया। आई.ए.सी.एस. ने यह विचार करने के बाद कि उक्त देरी ठेकेदार की वजह से नहीं थी, एच.एस.सी.एल. को छह अवसरों पर दो से नौ महीने तक की विभिन्न अवधियो हेतु समय बढ़ाना मंजूर किया। आई.ए.सी.एस. ने फरवरी 2017 तक कार्य के

क्रियान्वयन के आकलन पर एच.एस.सी.एल. को ₹ 6.71 करोड़ का भुगतान जारी किया।

एच.एस.सी.एल. ने कीमत परिवर्तन के लिए ₹ 83.79 लाख की कुल राशि का दावा किया, जिसमें से आई.ए.सी.एस. द्वारा ₹ 52.78 लाख का भुगतान किया गया तथा ₹ 31.01 लाख का शेष भुगतान फरवरी 2017 को अनुमोदित किया गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 18 महीने से कम अवधि वाले अल्पावधि अनुबंध में कीमत परिवर्तन समायोजन (पी.वी.ए.) खंड का समावेश, सामान्य वित्त नियमों का उल्लंघन था। ठेकेदार को अधिक समय दिए जाने की मंज़ूरी को आई.ए.सी.एस. ने अपने उत्तर लेते हुए कार्य के क्रियान्वन हेतु जगह प्रदान करने तथा विद्युतीय कार्यों के आतंरिक लेआउट को अंतिम रूप दिए जाने में देरी, एच.एस.सी.एल. के कार्य क्षेत्र के अंदर न होने वाले कार्यों का पूर्ण न होना इत्यादि का उचित करार दिया। यह आई.ए.सी.एस. की ओर से कीमतों में बढोतरी को टालने के लिए आवश्यक गतिविधियों के समय पर समापन को सुनिश्चित करने में उचित ध्यान की कमी का सूचक था। इससे ₹ 83.79 लाख की मूल्य-वृद्धि हुई।

आई.ए.सी.एस. ने कहा (जून 2017) कि यह एक दीर्घ अवधि अनुबंध था क्योंकि समापन की वास्तविक तिथि 18 महीने थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्य आदेश, 18 महीने तक समापन/पूर्ण होना उल्लिखित करता है तथा कीमत परिवर्तन समायोजन (पी.वी.ए.) खंड, केवल 18 महीने से अधिक की समापन अवधि हेतु प्रविष्ट किए गए अनुबंधों में समावेशित किए जा सकते थे।

जून 2017 में मामला डी.एस.टी. को सूचित किया गया; दिसम्बर 2017 तक उनका उत्तर प्रतिक्षित था।